

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 192 ]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 18 मई 2015—वैशाख 28, शक 1937

लोक सेवा प्रबंधन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 18 मई 2015

क्र. एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-16—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 ( क्रमांक 24 सन् 2010 ) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली सेवाएं, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवाएं प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिये निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात्:—

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की सेवाएं

सेवा क्र.	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
16.2	अद्यतन बीपीएल सूची की अभिप्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध कराना) ग्रामीण क्षेत्र.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत (अपनी-अपनी अधिकारिता में).	7 कार्य दिवस	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत.	15 कार्य दिवस	कलेक्टर/जिला दण्डाधिकारी.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
16.3(अ)	नलजल योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों जहाँ तकनीकी रूप से साध्य हो, वहाँ नवीन नल कनेक्शन के लिए मांग-पत्र प्रस्तुत किया जाना.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत (अपनी-अपनी अधिकारिता में).	15 कार्य दिवस	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत.	30 कार्य दिवस	कलेक्टर/जिला दण्डाधिकारी.
16.3(ब)	नलजल योजना के तहत मांग-पत्र अनुसार राशि जमा करने पर नवीन नल कनेक्शन प्रदाय.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत (अपनी-अपनी अधिकारिता में).	15 कार्य दिवस	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत.	30 कार्य दिवस	कलेक्टर/जिला दण्डाधिकारी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
हरिरंजन राव, सचिव.